रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/पौष 1, 1936
No. 685] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSHA 1, 1936

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 909(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निदेशक तथा उपनिदेशक, होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद (समूह 'क' तकनीकी पदों) भर्ती नियमावली, 2003 का अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतदद्वारा निदेशक और उप निदेशक, होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) ये नियम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय, होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद (निदेशक और उप निदेशक पद) भर्ती नियमावली, 2014 कहे जा सकते हैं।

(2) वे नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, उनसे जुड़ा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उससे जुड़े अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी व्यक्ति के साथ जिसका जीवनसाथी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह को अनुबंधित किया है, या

(ख) जिसने अपने जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट होती है कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए वहां पर अन्य आधार मौजूद हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट का अधिकार.—जहां पर केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों का उल्लेख करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकती है।

6. बचत.—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली अपेक्षित अन्य रियायतों पर ये नियम किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड,ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	1* (2014) * कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-'क' राजपत्रित, गैर मंत्रालयी	वेतन बैंड-3, 7600 रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपये	चयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई है और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया गया है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका गठन किस प्रकार है	वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	**(12)**	**(13)**
पदोन्नति होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वेतन बैंड-3, 6600 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले उप निदेशक और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मेसी, भेषजी रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा भेषज विज्ञान अथवा जैव-प्रौद्योगिकी या जैव-रसायन शास्त्र जैसे विषयों में 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किए जाने की तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को तत्समान वेतन अथवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति** **(पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय -सदस्य 3. सलाहकार (होम्योपैथिक), आयुष मंत्रालय -सदस्य 4. निदेशक, आयुष मंत्रालय -सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों के अधिकारी:— (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारिता; अथवा (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में 6600 रुपये अथवा समतुल्य ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये में नियमित आधार पर वहां पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा प्रदान की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों: **अनिवार्य** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भेषजी रसायन विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा फार्मेसी अथवा औषध निर्माण विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान अथवा भेषज अभिज्ञान अथवा भेषजगुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा जैव-रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा औषध परीक्षण में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) किसी भेषज संहिता प्रयोगशाला अथवा कच्चे औषधों पर अनुसंधान में शामिल कोई अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान में 10 वर्षों का अनुभव अथवा होम्योपैथी औषधों के परीक्षण और मानकीकरण में (प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन में अनुभव सहित) होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन अथवा निर्देशन में पांच वर्षों का अनुभव। **वांछनीय** (i) उपरोक्त बिंदु (i) में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में उल्लिखित संबद्ध विषय में डॉक्टरेट की उपाधि। (ii) अनुसंधान अथवा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के विभिन्न संकायों के कार्यकलापों के समन्वय में दो वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। (iii) होम्योपैथी में प्रयुक्त औषधों के विनिर्माण का दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1**: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं		

होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बा**हय** पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पावधि संविदा सहित) छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किए जाने की तारीख 01 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां पर वेतन के पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतमान के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया है और वहां पर यह लाभ केवल उन्हीं पद(ओं) तक विस्तारित होगा जहां पर वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-निदेशक	2* (2014) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-'क' राजपत्रित गैर-मंत्रालयी	पीबी-3, 15600-39100 रुपये और 6600 रुपये का ग्रेड वेतन	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी:** आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन,

					लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-मण्डल तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भेषजी रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान या फार्मेसी या औषध निर्माण विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या भेषज अभिज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान अथवा भेषजगुण विज्ञान अथवा एम. फार्मा. अथवा औषध परीक्षण में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) किसी भेषज संहितागत या भेषजी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में होम्योपैथिक औषधों के विश्लेषण या परीक्षण या मानकीकरण (प्रकाशन द्वारा यथा साक्ष्य) में पांच वर्षों का अनुभव। **वांछनीय** : (i) उपरोक्त बिंदु (i) में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में उल्लिखित संबद्ध विषय में डॉक्टरेट की उपाधि; (ii) औषधों के मानकीकरण पर पत्रों का प्रकाशन; और (iii) प्रयोगशाला के संचालन और प्रयोगशाला के विभिन्न संकायों के कार्यकलापों के समन्वय में एक वर्ष का प्रशासनिक अनुभव । **टिप्पणी 1.**-अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी** 2.-यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत बने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से अनुभव संबंधी योग्यता (ओं) में छूट दी जा सकती है ।	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यताएं: हां	सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए एक वर्ष	पदोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति द्वारा; दोनों द्वारा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए वाले 5400 रुपए के ग्रेड वेतन सहित उस ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक अधिकारी (भेषज/अभिज्ञान)/वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) और जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी, भेषजी रसायन विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/भेषजगुण विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/जैव-रसायन शास्त्र जैसे विषयों में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया गया हो। **टिप्पण 1:** पदोन्नति की अर्हता सूची अधिकारियों की संबंधित ग्रेड या पद में निर्धारित योग्यता सेवा के नियत तिथि तक पूरा करने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 या छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किए जाने की तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा	I. **समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति** **(पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. सचिव, आयुष मंत्रालय, -अध्यक्ष 2. सलाहकार (होम्यो.), आयुष मंत्रालय -सदस्य 3. निदेशक, आयुष मंत्रालय -सदस्य 4. निदेशक, होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद - सदस्य II.**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति** **(स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. सचिव, आयुष मंत्रालय -अध्यक्ष 2. सलाहकार (होम्यो.), आयुष मंत्रालय -सदस्य 3. निदेशक, आयुष मंत्रालय -सदस्य 4. निदेशक, होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद -सदस्य	किसी अधिकारी को सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त (अल्पकालिक संविदा सहित) करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित किए गए तत्समान वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो: (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हों; अथवा (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में 5400/- रुपये अथवा समतुल्य ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये में नियमित आधार पर वहां पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा कर चुके हों; और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों:- **टिप्पण 1**: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प संविदा सहित) सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्प संविदा सहित) छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 01-01-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग		

की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां पर वेतन के पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया है और वहां पर यह लाभ केवल उन्हीं पदों तक विस्तारित होगा जहां पर वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

[सं. ए. 11019/11/2012-एचपीसी (एचपीएल)]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2014

G.S.R. 909(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Director and Deputy Directors, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (Group 'A', Technical Posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director and Deputy Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy namely:—

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Homoeopathy Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (Director and Deputy Director Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, **-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director.	1*(2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs. 15600 -39100 withgrade pay of Rs.7600/-	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 6600/- with five years' regular service in the grade in the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad and having successfully completed the mandatory training of two weeks in subject like Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry or Chemistry, Botany or Microbiology or Pharmacology or Bio-technology or Bio-chemistry from a recognised University or institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Ayush —Member 3. Adviser (Homoeopathic), Ministry of Ayush —Member 4. Director, Ministry of Ayush —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : **Essential:** (i) Master's degree in Pharmaceutical Chemistry or Chemistry or Pharmacy or Pharmaceutics or Botany or Microbiology or Pharmacognosy or Pharmacology or Bacteriology or Biochemistry or M.Sc. in Drug Assay from a recognised University or institute; (ii) ten year's experience in a pharmacopoeial laboratory or in any other recognised research institution engaged in research on crude drugs or testing and standardisation of Homoeopathy drugs (including experience in setting up and running a		

laboratory) including fiveyears' experience of guiding or directing research in Homoeopathy. **Desirable:** (i) doctorate degree in relevant subject mentioned as essential educational qualification at (i) above. (ii) two years administrative experience in a research or analytical laboratory and coordinating the activities of different branches of the laboratory. (iii) two year's experience of manufacturing of drugs used in Homoeopathy. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short contract) including period of deputation (including short contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 4:** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only		

for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director	2* (2014) *Subject to variation dependent to workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's degree in Pharmaceutical Chemistry or Chemistry or Pharmacy or Pharmaceutics or Botany or Microbiology or Bacteriology or Pharmacognosy or Biochemistry or Pharmacology or M.Pharma or M.Sc. Drug Assay from a recognised University or institute. (ii) five years' experience in analysis or testing or standardisation of Homoeopathic drugs (as evidenced by publication) in a Pharmacopoeial or Pharmaceutical Laboratory. **Desirable:** (i) doctorate degree in the relevant subject mentioned as essential educational qualification at (i) above; (ii) publication of papers on standardisation of drugs; and (iii) one year administrative experience in running a laboratory	Age: No Educational Qualifications: Yes	One year for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

and coordination of activities of different branches of the laboratory. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion: Scientific Officer (Pharmacognosy) or Scientific Officer (Microbiology) or Scientific Officer (Chemistry) in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 with five years regular service in the grade in the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad and having successfully completed the mandatory training of two weeks in subject like Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Chemistry or Botany or Microbiology or Pharmacology or Bio-technology or Bio-chemistry in a recognised institute. **Note 1:** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing	**I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Secretary, Ministry of Ayush —Chairman 2. Adviser (Homoeopathic), Ministry of Ayush —Member 3. Director, Ministry of Ayush —Member 4. Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad —Member. **II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Secretary, Ministry of Ayush —Chairman 2. Advisor (Homoeopathic) Ministry of Ayush —Member 3. Director, Ministry of Ayush —Member 4. Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations :— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years services in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 4:** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the		

revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[A.11019/11/2012-HPC(HPL)]
RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.